न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1418

1. मनकोरी पत्नि बैजुराम जाति जाट, निवासी ग्राम बुडाना, तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं ने मुकदमा संख्या 155/2023 निर्णय दिनांक 28.08.2023 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम रास्ते सम्बन्धी प्रकरण बाबत जमीन खसरा नम्बर 145/972 राजस्व ग्राम बुडाना, तहसील झुन्झुनूं के विरूद्व पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री हेमन्त दीक्षित, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 15.01.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 28.08.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 03.06.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प मुकाम कासिमपुरा में दिनांक 28.04.2023 को पटवार मण्डल बुडाना के राजस्व ग्राम बुडाना में पकोडी की ढाणी सिक्का कालोनी के बीच से हेमदाना जोहड़ गोचर भूमि को जाने वाला प्रचलित रास्ता जो कि भूमि खसरा नम्बर 342, 343, 344, 345, 341, 1129/337, 1116/337, 337, 413, 145, 145/972, 430, 1190/431, 1191/431, 432, 133, 134, 133/898 में स्थित है, जिसको राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता का प्रस्ताव मय ग्राम पंचायत बुडाना का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि एवं रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में जनहित व अधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 28.04.2023 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, रास्ता प्रस्ताव आदेश का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अभिन्न अंग रहने एवं प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2023 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 28.08.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 28.08.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांकित 28.08.2023 खिलाफ कानून न्याय एवं पत्रावली के होने से खारिज होने योग्य है। आलौच्य निर्णय पारित करने में अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। आलौच्य निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुना नहीं गया। अपीलान्ट के पास कोई नोटिस नहीं भेजा गया कानूनन किसी खातेदार को बिना सुने उसकी खातेदारी खत्म नहीं की जा सकती तथा ना ही खातेदार के खेत में से कोई रास्ता कायम किया जा सकता। इस प्रकार आलौच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।रास्ता प्रस्ताव दिनाक 28.04.2023 अपीलान्ट की बिना सहमति के बताया है। ख.न. 145/972 वाके ग्राम बुडाना में से कोई रास्ता हिमदाना जोहड़ तक नहीं जाता। नक्शासीट में डोटेड लाईन गलत दर्शित की है। रास्ता प्रस्ताव अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनाया गया है। उक्त नियम के तहत रास्ता कायम करने के लिये खातेदार की सहमति जरूरी है। सहमति पत्र फर्जी है उस पर काफी व्यक्तियों के हस्ताक्षर फर्जी है। ग्राम पंचायत की सहमति गलत ली है। ग्राम पंचायत अगर सहमति देती है तो क्या ग्राम पंचायत को नुकसान हो रहा है। नुकसान तो खातेदार को हो रहा है। नियमों में सरपंच की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अदालत मातहत ने नियमों को नजर अन्दाज कर गलत रूप से आलौच्य निर्णय पारित किया है। जमीन खसरा नम्बर 145/972 में से रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम होने से उक्त जमीन के दो खसरा नम्बर 1278/145 रकबा 0.03 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता व खसरा नम्बर 1279/145 रकबा 0.47 हैक्टर कायम हुये। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने का कोई आधार दर्ज नहीं किया। तथा ना ही कोई आम सूचना जारी की। इस प्रकार आलौच्य निर्णय तर्क एवं निष्कर्ष सहित स्पष्ट नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

आलौच्य निर्णय अपीलान्ट की पीठ पीछे तथा अपीलान्ट की बिना जानकारी के पारित किया है जिसकी जानकारी होने पर अनभिज्ञता के कारण अपीलान्ट ने आलौच्य निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं में दिनांक 29.08.2024 को अपील नम्बर 116/2024 पेश की जो उनवानी मनकोरी बनाम राजस्थान सरकार थी उक्त अपील की पोषणीयता नहीं होने की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं के यहां विचाराधीन मुकदमा नम्बर 116/2024 को दिनाक 24.04.2025 को विड्रा कर ली। दिनाक 25.04.2025 के बाद आज तक का समय अपीलान्ट को विधिक सलाह लेने व अपील तैयार करवाने में लग गया इस प्रकार उपरोक्त कारण से अपील पेश करने में हुई देरी माफ की जाकर अपील अन्दर मियाद समाहत की जावे। देरी माफ करने के लिये दफा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। दिनांक 29.08.2024 से दिनाक 24.04.2025 का समय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

झुन्झुनूं के यहां व्यतीत हो गया तथा दिनाक 28.08.2023 से दिनाक 29.08.2024 तक अपील पेश नहीं करने का कारण अपील नम्बर 116/2024 के साथ संलग्न दफा 5 में विवरण है इस कारण अपील अन्दर मियाद समाहत की जावे। अपीलान्ट जमीन खसरा नम्बर 145/972 वाके ग्राम बुडाना की खातेदार है। आलौच्य निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए अपीलान्ट आलौच्य निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। अपीलान्ट को आलौच्य निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने की इजाजत दिया जाना आवश्यक है इजाजत हेतु धारा 96 जा. दी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 28.08.2023 खारिज किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2023 की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं में दिनांक 29.08.2024 को अपील पेश की गयी। दिनांक 24.04.2025 को अपील पोषणीय नहीं होने से विड्रो किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प मुकाम कासिमपुरा में दिनांक 28.04.2023 को पटवार मण्डल बुडाना के राजस्व ग्राम बुडाना में पकोडी की ढाणी सिक्का कालोनी के बीच से हेमदाना जोहड़ गोचर भूमि को जाने वाला प्रचलित रास्ता जो कि भूमि खसरा नम्बर 342, 343, 344, 345, 341, 1129/337, 1116/337, 337, 413, 145, 145/972, 430, 1190/431, 1191/431, 432, 133, 134, 133/898 में स्थित है, जिसको राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता का प्रस्ताव मय ग्राम पंचायत बुडाना का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि एवं रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी

परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 28.04.2023 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहने एवं प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2023 पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2023 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से होकर गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जिसको नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत बुडाना का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रस्तावित खसरा नम्बरान के खातेदारों के सहमति पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2023 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर